हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर , जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

पाराशर नारायण	राकेश कुमार	सवाई नाथ सपेरा	योगेश खींची	लखन कुमार डाबोडिया
पदेन संरक्षक	प्रदेश अध्यक्ष	कार्यकारी अध्यक्ष	प्रदेश महासचिव	प्रदेश कोषाध्यक्ष
94133-89665	9414591735	7976166691	9664134883	9772516094

क्रमांक 1207 to 1997

दिनांक : 10.12.2022

श्रीमान् मुख्य न्यायाधीश महोदय,
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय,
नई दिल्ली।

JUSTICE DELAYED, JUSTICE DENIED

विषयः– वंचित दलितों की सहायतार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से कीमिलेयर को बाहर करने बाबत।

संदर्भः– सिविल याचिका संख्या 02/2018 के शीघ्र निस्तारण हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था और विभिन्न सरकारी योजनाओं से अनुदान और आर्थिक सहायता पहुंचाने की व्यवस्थाऐं की हुई हैं। पिछले 70 वर्षों में सम्पूर्ण आरक्षण व्यवस्था और अरबों रूपये की सरकारी सहायता का लाभ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में केवल 4–5 प्रतिशत परिवारों द्वारा ही पीढी–दर–पीढी उठाया जा रहा है। अजा/अजजा वर्ग के लगभग 95 प्रतिशत परिवार आज भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, पिछड़े हुये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की लगातार चार संविधान पीठों द्वारा (एम.नागराज बनाम भारत सरकार, रोहिताश भॉखर बनाम भारत सरकार, जरनैल सिंह बनाम भारत सरकार एवं चैम्बरूलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश) निर्णय दिया जा चुका है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से कीमिलेयर को बाहर किया जाए ताकि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ सुपात्र दलितों और पिछड़ों तक पहुंच सके। दुर्भाग्य से केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त संविधान पीठों के निर्णयों की पालना करने का साहस नहीं किया गया है।

समता आन्दोलन के अनुसूचित जाति और जनजाति प्रकोष्ठ ने मिलकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अधीन सिविल याचिका संख्या 02/2018 दायर की हुई है जिसमें नोटिस जारी किये हुये हैं। एम. नागराज के प्रकरण में संविधान पीठ के दिये गये निर्णय के वर्ष 2006 से अब तक 16 वर्षों में लाखों की संख्या में सुपात्र दलितों और पिछड़ों के आरक्षण और सरकारी योजनाओं के लाभों को सम्पन्न अपात्र लोगों द्वारा लगातार हड़पा जा रहा हैं। आप श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारी उपरोक्त याचिका संख्या 02/2018 को तत्काल निर्णित करवा कर सम्पन्न और अगड़े लोगों को अजा/अजजा वर्ग से बाहर करके पूरे देश और प्रदेशों के करोड़ों वंचित दलितों को न्याय दिलवाऐं। सादर ।

भवदीय,

(राकेश कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिः–

सभी लोकसभा एवं राज्य सभा के सम्मानीय सांसदों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।